संख्याः 2991/79—6—2007

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग—(6) लखनऊ दिनांक 06 नवम्बर, 2007

विषयः **मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों/स्वयं सेवी संस्थाओं/वार्ड समिति को दये गये खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत (कन्वर्जन कास्ट) का विशेष ऑडिट कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आप अवगत हैं कि मध्यान्ह भोजन योजना एक अत्यन्त जनोपयोगी योजना है जिसके अन्तर्गत प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत लगभग 1.94 करोड़ छात्र/छात्राओं को प्रतिदिन विद्यालय में पका—पकाया भोजन दिया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र/छात्राओं को प्रत्येक विद्यालय दिवस में भोजन उपलब्ध कराने का कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में यह कार्य मुख्यतः स्वयं सेवी संस्थाओं/वार्ड समितियों के द्वारा किया जा रहा है। भोजन बनाने हेतु खाद्यान्न एवं इसे पकाने हेतु वांछित परिवर्तन लागत (कन्वर्जन कास्ट) भी ग्राम पंचायतों एवं नगर क्षेत्रों में स्वयं सेवी संस्थाओं/वार्ड समितियों को उपलब्ध करायी जा रही है। प्राप्त खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत का लेखा—जोखा भी ग्राम सभा स्तर पर ग्राम प्रधान एवं सचिव, ग्राम पंचायत की देख—रेख में तथा नगर क्षेत्रों में स्वयं सेवी संस्थाओं/वार्ड समितियों (वार्ड सभासद एवं अधिशासी अधिकारी) के द्वारा रखा जा रहा है। परिवर्तन लागत हेतु पृथक से ग्रामनिधि—ट की व्यवस्था की गयी है।

गतवर्ष के दिसम्बर माह में प्रदेश के सभी जनपदों में योजनान्तर्गत विशेष ऑडिट कराया गया था जिसके उपरान्त कतिपय जनपदों में अनियमिततायें प्राप्त हुयी थीं। मुझे विश्वास है कि अनियमितताओं के प्रति उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आपके स्तर से दोषी व्यक्तियों/अधिकारियों के प्रति कार्यवाही सम्पादित कर दी गयी होगी।

उपर्युक्त परिदृश्य में योजनान्तर्गत दिनांक 01 अप्रैल, 2007 से 30 नवम्बर, 2007 की अवधि के मध्य प्राप्त खाद्यान्न तथा परितर्वन लागत की धनराशि का उन विद्यालयों को छोड़कर, जिनमें गतवर्ष ऑडिट कार्य सम्पन्न कराया जा चुका है, चयनित विद्यालयों में विशेष ऑडिट कराया जायेगा। प्रत्येक आडिट टीम द्वारा 05 चयनित विद्यालयों का आडिट किया जायेगा। इस हेतु जनपद स्तर पर निम्न अधिकारियों की अध्यक्षता में ऑडिट टीमों का गठन किया जायेगाः—

1. जिला विद्यालय निरीक्षक
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
3. जिला आपूर्ति अधिकारी

4. जिला पंचायत राज अधिकारी
5. लेखाधिकारी, कार्यालय– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

प्रत्येक ऑडिट टीम में निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

सम्बन्धित विकास खण्ड के

1. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस.डी.आई.
2. पूर्ति निरीक्षक
3. ए.डी.ओ. पंचायत
4. टीम लीडर के कार्यालय के लेखाकार (जहां टीम लीडर के कार्यालय में कोई लेखाकार न हो वहां लेखाकार की व्यवस्था जिलाधिकारी द्वारा किसी अन्य कार्यालय से की जायेगी।)

दिनांक 01 दिसम्बर, 07 से 15 दिसम्बर, 07 के मध्य एक टीम द्वारा नगरीय क्षेत्र तथा 4 टीमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऑडिट किया जायेगा। ऑडिट हेतु विकासखण्डों/ग्राम पंचायतों/नगरीय क्षेत्रों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं का चयन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

नगरीय क्षेत्र में ऑडिट की इकाई एक वार्ड अथवा कोई स्वयं सेवी संस्था होगी। उक्त वार्ड/स्वयं सेवी संस्था के क्षेत्र में स्थित सभी विद्यालयों में योजना का ऑडिट किया जायेगा।

ऑडिट में ग्राम पंचायत में उपलब्ध प्रपत्र पए प व पप/स्वयं सेवी संस्था/वार्ड में उपलब्ध अभिलेख कामिलान विद्यालय में उपलब्ध मध्यान्ह भोजन योजना पंजिका/उपस्थिति पंजिका से सघनतापूर्वक किया जाये। जिन ग्राम पंचायतों/स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रबन्धक/वार्ड समिति के पदाधिकारी, कोटेदार, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा प्रधानाध्यापक को ऑडिट की तिथि से अवगत अवश्य करा दिया जाये जिससे कि वे ऑडिट के दिनांक पर अभिलेखों सहित ऑडिट टीम के सहयोग हेतु उपस्थित रहें।

ऑडिट टीम अपनी आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगी। यदि ऑडिट में कतिपय अनियमिततायें संज्ञान में आती हैं तो उत्तरदायी व्यक्ति के प्रति कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाये। जिलाधिकारी ऑडिट टीमों के निष्कर्षों एवं कृत कार्यवाही से दिनांक 10–12–2007 तक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को अवगत करायेंगे।

ऑडिट टीम के सहायतार्थ प्रारूप तैयार कर संलग्न है। ऑडिट टीम इसी प्रारूप पर ग्राम पंचायतों/स्वयं सेवी संस्थाओं/वार्ड कमेटी का ऑडिट करेंगी एवं इसके सभी बिन्दुओं पर अनिवार्य रूप से आख्या अंकित कर जनपदीय टास्क फोर्स को उपलब्ध करायेगी।
संलग्नकः– उक्तवत्।

भवदीय
ह0
(प्रशान्त कुमार मिश्र)
मुख्य सचिव

पृष्ठांकन **तद्दिनांक**
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त।
2. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
5. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, लखनऊ।
6. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।

ह0
(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव (बेसिक शिक्षा)
उ0प्र0 शासन